

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. रेक्टिफिकेशन सं. 9/2014/उदयपुर
2. रेक्टिफिकेशन सं. 10/2014/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, वृत्त-बी, उदयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स दिव्या चिकित्सालय, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री पी.डी.जावरिया, अभिभाषक।
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16.01.2017

निर्णय

1. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों परिशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णयों में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रपत्र वेट 57 में प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरणों के तथ्य समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जावे।

रेक्टि. प्रार्थना पत्र सं.	कर बोर्ड की अ.सं.	कर बो. का नि.दि.	वर्ष	अपीलीय अधिकारी की अपील सं. एवं आदेश दि.	कर निर्धा.अधि. का आ. दि.
1	2	3	4	5	6
09/14	2364/12	17.12.13	2007-08	23/29.05.12	29.02.10
10/14	2365/12	17.12.13	2008-09	24/29.05.12	21.09.10

2. व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिशोधन प्रार्थना पत्रों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी का आलौच्य अवधियों के निर्धारण आदेश पारित करते समय जांच पर यह पाया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि संबंधित चारों बिक्री विवरणी प्रपत्र देरी से प्रस्तुत किये गये। अतः सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-बी, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) द्वारा देरी से प्रस्तुत बिक्री विवरणी प्रपत्रों करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति व देय कर देरी से जमा करवाने के कारण अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियां कायम कर, निर्धारण आदेश पारित किये गये। व्यवहारी द्वारा इन आदेशों के विरुद्ध अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत अपीलों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध विभाग द्वारा द्वितीय अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने पर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा दिनांक 17.12.2013 को आदेश पारित करते हुए विभाग की अपीलें आंशिक स्वीकार की। उक्त आदेशों में संशोधन किये जाने हेतु व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत यह परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी पर धारा 58 की शास्ति बिना किसी नोटिस के आरोपित की गई थी, जो अनुचित है। कर निर्धारण के समय शास्ति के आरोपण के बिन्दु पर अगर किसी प्रकार का सूचना पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो नियम 49 के तहत बाध्यकारी शर्त के अभाव में आरोपित शास्ति अपास्तनीय योग्य है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

लगातार.....2

1. राजस्थान सेल्स टेक्स अधिकरण द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड तृतीय, प्रतापगढ़ बनाम मैसर्स फतेहलाल कान्तीलाल, प्रतापगढ़ में पारित निर्णय आर.टी.जे.एस. (1) पार्ट-1, पृष्ठ 253
2. राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 764/2008/बांरा सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बांरा बनाम मै. अतुल टेडिंग कम्पनी, अटरू निर्णय दिनांक 09.06.2010
3. राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अपील संख्या 2383/2008/जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, जोधपुर बनाम मै. मेडिकेयर, जोधपुर निर्णय दिनांक 29.04.2010
4. राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की अपील संख्या 1321/2011/जोधपुर मै. बियानी एन्टरप्राइजेज, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी उडनदस्ता वृत्त बी, जोधपुर निर्णय दिनांक 26.09.2012

अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त की गई शास्ति को विधिक बतलाया एवं कर बोर्ड द्वारा विभाग की अपील स्वीकारते हुए व्यवहारी पर आरोपित ब्याज को विधिसम्मत बतलाये जाने को अनुचित बतलाते हुए इस हद तक कर बोर्ड के आदेश को संशोधित करने का निवेदन किया।


5. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि व्यवहारी द्वारा उक्त दोनो संशोधन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत किये गये है, जबकि धारा 83 के तहत नवीन अपीलें प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान है। व्यवहारी इन संशोधन प्रार्थना पत्रों के जरिये मूल आदेशों को परिवर्तित करवाना चाहते है, जबकि अधिनियम की धारा 33 का दायरा सीमित है, उक्त धारा के तहत केवल मात्र लिपिकीय/टंकण त्रुटियों को ही संशोधित किया जा सकता है, ना कि मूल आदेश में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत समस्त परिशोधन प्रार्थना पत्रों को खारिज करने का निवेदन किया। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त परिशोधन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

7. अतःएव एकलपीठ द्वारा व्यवहारियों की मूल अपीलों में प्रकरण के रेकार्ड व तथ्यों पर समुचित रूप से विचार करने के पश्चात आदेश पारित किये गये थे, जो कि सुविचारित एवं सचेतन मस्तिष्क से पारित किये गये निर्णय है तथा इसमें रेकार्ड पर परिलक्षित प्रथम दृष्टतया कोई त्रुटियां प्रतीत नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड प्लास्टिक एजेन्सीज के न्यायिक दृष्टांत (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में यह अवधारित किया गया है कि पूर्व में पारित सुविचारित निर्णय अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत परिशोधन की परिधि में नहीं आते हैं तथा अधिनियम की धारा 33 पूर्व में पारित निर्णयों को पुनर्विलोकित करने का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं।

8. परिणामतः व्यवहारियों द्वारा कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पूर्व में पारित निर्णयों (उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 3) में संशोधन हेतु वेट अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण एतद्वारा अस्वीकार किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।


16.1.2012
(मदन लाल)
सदस्य